पत्रांक–2/एम0–12/2021...........................

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।

सभी सिविल सर्जन, बिहार।

पटना, दिनांक...........................

विषयः– Walk-In Interview के माध्यम से चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक–23 (10) दिनांक–30.04.2021 के द्वारा राज्य अन्तर्गत कोविड–19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में 1000 चिकित्सकों के संविदा आधारित पूर्ण रूप से अस्थायी पदों का सृजन किया गया है। यह नियोजन एक वर्ष के लिए किया जाना है। संस्थानवार एवं जिलावार पदों की सूची की विवरणी निम्नवत है :–

क्र0	संस्थानों/ जिला का नाम	पदों की संख्या
1	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।	21
2	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।	25
3	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	15
4	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।	15
5	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।	15
6	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया।	15
7	वर्द्धमान चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पावापुरी, नालंदा।	15
8	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा।	15
9	जन नायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा।	15
10	अररिया	14
11	अरवल	10
12	औरंगाबाद	16
13	बक्सर	16
14	बेगूसराय	23
25	कैमूर	16
26	किशनगंज	12
27	खगड़िया	12
28	लखीसराय	12
29	मुंगेर	19
30	मुजफ्फरपुर	41
31	मधेपुरा	18
32	मधुबनी	26
33	नवादा	19
34	नालंदा	25
35	पटना	68
36	पूर्णियाँ	24
37	रोहतास	24
38	शेखपुरा	11

15	बांका	16	39	शिवहर	10
16	भागलपुर	41	40	सुपौल	16
17	भोजपुर	19	41	समस्तीपुर	25
18	दरभंगा	28	42	सहरसा	20
19	पूर्वी चम्पारण	32	43	सारण	30
20	गया	49	44	सीवान	24
21	गोपालगंज	19	45	सीतामढ़ी	22
22	जमुई	15	46	वैशाली	21
23	जहानाबाद	12	47	पश्चिमी चम्पारण	23
24	कटिहार	21	**कुल पद**		**1000**

उपरोक्त के संबंध में एक वर्ष के लिए संविदागत नियोजन हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं:–

1. उक्त नियोजन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु वही होनी चाहिए, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार निर्धारित की गई है। उम्र हेतु कटऑफ तिथि 01.05.21 होगी।

2. नियोजन के लिए प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा जिला पृथक इकाई होगा। आरक्षण हेतु प्रति इकाई राज्य सरकार के आदर्श रोस्टर का पालन किया जाएगा। नियोजन हतु आदर्श रोस्टर बिन्दु 1 से प्रारंभ होगा। सुलभ प्रसंग हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 की प्रति संलग्न है। उक्त के आलोक में आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाना है।

3. प्रस्तावित पदों का विवरण :–

क्र0 सं0	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	मानदेय
1	सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा पर नियोजन हेतु)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की डिग्री	65000/–
			कुल पद

4. मेधा सूची का निर्धारण एम0बी0बी0एस0 में प्राप्त अंक के आधार पर होगा और विदेश से प्राप्त सभी डिग्री धारकों की एम0बी0बी0एस0 प्राप्तांक की गणना 50 प्रतिशत पर की जाएगी, बशर्त्ते कि उसका निबंधन एम0सी0आई0 से होना अनिवार्य है।

5. उक्त संविदागत नियोजन Walk-in interview के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए समेकित विज्ञापन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है। Walk-in interview की प्रथम तिथि को प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन करते हुए रोस्टरवार नियोजन करने के उपरांत ही क्रमशः अन्य तिथियों को प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए नियोजन किया जाएगा।

6. Walk-in interview हेतु निम्नवत तिथि निर्धारित की जाती है:–10.05.2021, 14.05.2021,17.05.2021, 21.05.21 एवं उसके पश्चात् प्रत्येक सोमवार।

स्थान–

जिला स्तर पर – जिला स्वास्थ्य समिति का कार्यालय।

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल स्तर पर – अधीक्षक का कार्यालय।

7. नियोजन के लिए मानदेय की राशि का भुगतान जिला स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से किया जाएगा। उसके उपरांत भी यदि राशि की आवश्यकता हो तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुसंगत बजट शीर्ष में निर्गत आवंटन से भुगतान किया जाएगा। चिकित्सा महाविद्यालय एवं संस्थान द्वारा सुसंगत बजट शीर्ष से किया जाएगा।

8. जिला स्तर पर संविदागत नियोजन हेतु निम्न प्रकार कमिटी का गठन किया जाता है :–

(i) असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी–अध्यक्ष;

(ii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सदस्य;

(iii) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी–सदस्य;

(iv) जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी।

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के स्तर पर से निम्न प्रकार से समिति का गठन कर नियोजन किया जाएगा।

(i) प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल–अध्यक्ष;

(ii) अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल–सदस्य;

(iii) विभागाध्यक्ष (मेडिसीन विभाग)–सदस्य;

(iv) प्राचार्य द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी/चिकित्सक।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

(शैलेश कुमार)

ज्ञापांक :–2/एम0–12/2021– 585(2)/ पटना, दिनांक 02.05.2021.

प्रतिलिपि :–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इस संदर्भ में विज्ञापन की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त का प्रकाशन दो दिनों तक समाचार पत्रों में कराया जाए एवं नियोजन के अनुश्रवण की व्यवस्था राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाए।

02/05/21

सरकार के उप सचिव।

Walk- In Interview के माध्यम से चिकित्सा पदाधिकारियों के एक वर्ष के लिए संविदागत नियोजन हेतु सूचना

बिहार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों तथा जिला स्तरीय अस्पतालों में एक वर्ष के लिए संविदागत नियोजन हेतु एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संस्थानवार एवं जिलावार पदों की संख्या निम्नवत हैः–

क्र0	संस्थानों / जिला का नाम	पदों की संख्या
1	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।	21
2	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।	25
3	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	15
4	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।	15
5	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।	15
6	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया।	15
7	वर्द्धमान चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पावापुरी, नालंदा।	15
8	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा।	15
9	जन नायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा।	15
10	अररिया	14
11	अरवल	10
12	औरंगाबाद	16
13	बक्सर	16
14	बेगूसराय	23
15	बांका	16
16	भागलपुर	41
17	भोजपुर	19
18	दरभंगा	28
19	पूर्वी चम्पारण	32
20	गया	49
21	गोपालगंज	19
22	जमुई	15
23	जहानाबाद	12
24	कटिहार	21

क्र0	संस्थानों / जिला का नाम	पदों की संख्या
25	कैमूर	16
26	किशनगंज	12
27	खगड़िया	12
28	लखीसराय	12
29	मुंगेर	19
30	मुजफ्फरपुर	41
31	मधेपुरा	18
32	मधुबनी	26
33	नवादा	19
34	नालंदा	25
35	पटना	68
36	पूर्णियाँ	24
37	रोहतास	24
38	शेखपुरा	11
39	शिवहर	10
40	सुपौल	16
41	समस्तीपुर	25
42	सहरसा	20
43	सारण	30
44	सीवान	24
45	सीतामढ़ी	22
46	वैशाली	21
47	पश्चिमी चम्पारण	23
कुल पद		1000

शैक्षणिक योग्यता— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की डिग्री।

मानदेय— 65,000/—रुपये प्रतिमाह।

नियोजन की अवधि— एक वर्ष।

इस विशिष्ट नियोजन के अन्तर्गत नियुक्त चिकित्सकों को नियमित नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने के समय बिहार स्वास्थ्य सेवाएं (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 में यथाविहित प्रावधानों के तहत अंकों में अधिमान्यता दी जाएगी।

मेधा सूची का निर्धारण—मेधा सूची का निर्धारण एम0बी0बी0एस0 में प्राप्त अंक के आधार पर होगा और विदेश से प्राप्त सभी डिग्री धारकों की एम0बी0बी0एस0 प्राप्तांक की गणना 50 प्रतिशत पर की जाएगी बशर्त्ते कि उसका निबंधन एम0सी0आई0 से होना अनिवार्य है।

आयु सीमा—दिनांक—01.05.2021 को उम्मीदवार की अधिकतम आयु वही होनी चाहिए, जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय—समय पर आरक्षण कोटिवार निर्धारित की गई हो।

Walk-in interview की तिथि—10.05.2021, 14.05.2021, 17.05.2021, 21.05.2021 एवं उसके पश्चात् प्रत्येक सोमवार।

नियोजन की प्रक्रिया —सम्बन्धित उम्मीदवार सीधे अपने शैक्षणिक योग्यता की प्रति के साथ सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति अथवा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक के कार्यालय में उपस्थित होंगे। उपस्थित उम्मीदवारों के आधार पर मेधा का निर्धारण कर अद्यतन प्रभावी आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए नियोजन किया जाएगा। प्रथम तिथि में प्राप्त आवेदनों के संबंध में नियोजन की प्रक्रिया पूरी किए जाने के उपरांत ही क्रमशः अन्य तिथियों को प्राप्त आवेदनों के आधार पर नियोजन किया जाएगा।

कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।

ज्ञापांक :—../पटना, दिनांक.............................

प्रतिलिपि—सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि—सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि—सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।